

अध्याय—XVII

रेलों के विद्युतीकरण (इलेक्ट्राफाइड) सेक्शनों पर गाड़ियों का संचालन

17.01. साधारण नियमों का लागू होना: इस अध्याय के नियमों में अन्यथा किये गये उपबन्धों के सिवाय, गाड़ियों के संचालन से संबंधित सभी नियम रेलों के विद्युतीकरण सेक्शनों में भी लागू होंगे।

17.02. इस अध्याय में लागू विशेष परिभाषाएँ: इन नियमों में, यदि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो तो—

- (1) विद्युत रेल-पथ और निर्माण-कार्य का अभिप्राय कर्षण संस्थापन (ट्रैक्शन इंस्टालेशन) से हैं, जिनके अन्तर्गत ऐसे ऊपरी उपस्कर और अन्य सम्बद्ध निर्माण-कार्य भी हैं। जिनकी व्यवस्था रेल के विद्युतीकरण सेक्शनों में की गई है।
- (2) संभरण पोस्ट (फीडिंग पोस्ट) का अभिप्राय ऐसी सप्लाय नियंत्रण पोस्ट (सप्लाय कन्ट्रोल पोस्ट) से है, जहाँ ग्रिड उप स्टेशन से आने वाली संभरण (फीडर) लाइनें समाप्त होती हैं।
- (3) 'निरावेशित सेक्शन' (न्यूट्रल सेक्शन) का अभिप्राय है, विद्युत रोधित (इंसुलेटेड) और निष्क्रिय (डेड) ऊपरी उपस्कर का वह छोटा सेक्शन, जो समीपस्थ उप स्टेशनों अथवा संभरण पोस्टों (फीडिंग पोस्ट) द्वारा संभरित (फीड) क्षेत्रों को पृथक करता है।
- (4) 'विद्युत ब्लाक' (पावर ब्लाक) का अभिप्राय लाइन के किसी सेक्शन पर केवल विद्युत गाड़ियों के यातयात को अवरुद्ध करने से है।
- (5) 'प्रदाय नियंत्रण पोस्ट' (सप्लाय कन्ट्रोल पोस्ट) का अभिप्राय है अवरोधकों (इंटरप्टर), पृथक्कारी स्विचों (आइसोलेटर स्विचों), दूर नियंत्रण उपस्कर (रिमोट कन्ट्रोल इक्विपमेंट) और अन्य उपकरणों का समुच्चय, जिनकी व्यवस्था ऊपरी उपस्कर को शक्ति प्रदाय (पावर सप्लाय) नियंत्रण के लिए की जाती है। इसके अन्तर्गत संभरण पोस्ट (फीडिंग पोस्ट) उप सेक्शनिंग और पैरेललिंग पोस्ट और उप सेक्शनिंग पोस्ट है।
- (6) 'टावर वैगन' का अभिप्राय एक ऐसे स्वनोदित (सेल्फ प्रोपेल्ड) वाहन से है जो ऊपरी उपस्कर के अनुरक्षण तथा मरम्मत के लिए प्रयोग किया जाता है।
- (7) 'कर्षण शक्ति नियंत्रक' (ट्रैक्शन पावर कन्ट्रोलर) का अभिप्राय उस सक्षम रेल सेवक से है जो उस समय कर्षण वितरण प्रणाली पर शक्ति के प्रदाय (पावर सप्लाय) के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है।

स0नि0 17.02 (1) "अथराइज्ड पर्सन" अर्थात् कोई व्यक्ति जिसे उसके सेवायोजन ड्यूटी करने के लिए विधिवत प्राधिकृत किया गया हो जिसका प्राधिकृतीकरण रेलवे अधिकारी द्वारा किया गया हो जिसे उसके करने का अधिकार प्राप्त हो।

स0 नि0.17.02 (2) "बेयर" अर्थात् कोई विद्युत कन्डक्टर या पुर्जा जो रोधी सामग्री से आच्छादित न किया हो।

स0 नि0.17.02 (3) "काशन नोटिस" अर्थात् सक्रिय उपस्कर पर अथवा उसके पास लगा हुआ नोटिस जो उस उपस्कर के छुए जाने अथवा उससे छेड़छाड़ करने के खतरे का आभास करा रही हो जिस पर ये शब्द अंकित हो "सावधान सक्रिय उपस्कर"।

स0 नि0.17.02 (4) 'जूनियर इंजीनियर/विद्युत' अर्थात् एक प्राधिकृत व्यक्ति जो कर्मियों और/या लाइनमैनो के एक समूह का प्रभारी हो, जिसे विशिष्ट प्रकार के कर्षण उपस्कर जैसे उपरगामी उपस्कर, स्विचिंग स्टेशन, फीडर लाइनें रिमोट नियंत्रण उपस्कर, विद्युत चल स्टॉक आदि पर कार्य का प्राधिकार प्राप्त है।

स0 नि0.17.02 (5) 'सर्किट' अर्थात् कन्डक्टर या कन्डक्टरों और उपस्कर की एक व्यवस्था जो विद्युत उर्जा के संचालन और प्रणाली अथवा प्रणाली की शाखा की स्थापना हेतु हो।

CHAPTER XVII

WORKING OF TRAINS ON ELECTRIFIED SECTION OF RAILWAYS

17.01 Applicability of General Rules:- All rules referring to the working trains shall also apply to electrified sections except as otherwise provided in the rules contained in this chapter.

17.02. Special definitions applicable to this Chapter:- In these rules, unless the context otherwise requires:

- (1) “Electrical way and works” means the traction installations including over head equipment and other connected works provided on the electrified sections of the Railway;
- (2) “Feeding post” means a supply control post, where the incoming feeder lines from grid sub-station are terminated.
- (3) “Neutral section” means a short section of insulated and dead over head equipment which separates the areas fed by adjacent sub-station or feeding posts.
- (4) “Power Block” means blocking of a section of line to electric traffic only;
- (5) “Supply control post” means an assembly of interrupters, isolator switches remote control equipment and other apparatus provided for controlling power supply to over head equipment, it includes feeding post, sectioning and paralleling posts, sub-sectioning and paralleling posts and sub-sectioning posts.
- (6) “Tower wagon” means a self propelled vehicle which is used for the maintenance and repairs of overhead equipment.
- (7) “Traction Power Controller” means a competent railway servant who may for the time being be responsible for the control of power supply on the traction distribution system.

S.R.17.02 (1). “Authorized Person” means any person who is duly authorized to perform the duties appertaining to his employment, the authorization being by an officer of the Railway Administration empowered for the purpose.

S.R.17.02 (2). “Bare” means any electrical conductor or component not covered with insulating materials.

S.R.17.02 (3). “Caution Notice” means notice attached to or placed near live equipment calling attention to the danger of touching or interfering with such equipment, and bearing the words “Caution – Live Equipment”.

S.R.17.02 (4). “Junior Engineer/Electrical” means an authorized person incharge of a gang of workmen and/or linemen, authorized to work on specific types of traction equipment such as overhead 208(i) equipment, switching station feeder lines, remote control equipment electric rolling stock, etc.

S.R.17.02 (5). “Circuit” means an arrangement of conductor or conductors and equipment for the purpose of conveying electrical energy and forming a system or a branch of a system.

When they form a closed path through which a current can circulate, such circuit is referred to as “Closed”. When the path is not closed to prevent any current flow, the circuit is referred to as “Open”.

- स0 नि0.17.02 (6) "सर्किट ब्रेकर" अर्थात एक उपकरण जो किसी विद्युत सर्किट को, भार की सभी परिस्थिति से बन्द करने और खोलने के लिए हो जब तक कि अन्यथा दर्ज न हो और ऐसा डिजाइन किया हो ताकि परिभाषित असामान्य परिस्थितियों में स्वतः खोला जा सके।
- स0 नि0.17.02 (7) 'कन्डक्टर' अर्थात एक पिण्ड अथवा पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रवाह में निम्न स्तर का रोध उत्पन्न करे।
- (1) "फेज कन्डक्टर"— अर्थात एक कन्डक्टर जो विद्युत धारा को कर्षण उपरगामी उपस्कर तक ले जाता है।
- (2) 'रिटर्न कन्डक्टर"— अर्थात एक कन्डक्टर जो वापसी विद्युत धारा को ट्रैक रेलों पर प्राप्त करता है और उसे उपस्टेशन तक ले जाता है। रिटर्न कन्डक्टर में ट्रैक से बूस्टर ट्रांसफार्मर विद्युत धारा ले जाने वाला एक विशेष रोधी परगामी कन्डक्टर भी शामिल है।
- स0 नि0.17.02 (8) "कन्टैक्ट वायर" अर्थात एक उपरगामी कन्डक्टर जिससे विद्युत उर्जा को विद्युत चल स्टाक तक सम्प्रेषित किया जाता है।
- स0 नि0.17.02 (9) "कट आउट" अर्थात कोई कन्डक्टर के माध्यम से प्रवाहित उर्जा को स्वचालित रूप से बाधित करने वाला कोई उपकरण जबकि विद्युत धारा पूर्व निर्धारित परिमाण से ऊँचा हो जाय।
- स0 नि0.17.02 (10) "डैन्जर" अर्थात झटके जलने अथवा व्यक्ति को अथवा सम्पत्ति को हो सकने वाले किसी क्षति से स्वास्थ्य अथवा जीवन अथवा शरीर के किसी अंग को अथवा आग या विस्फोटक से, जो विद्युत उर्जा की पारगम्यता मूलान्तरण परिवर्तन, वितरण अथवा प्रयोग से जुड़ी हो।
- स0 नि0.17.02 (11) "डैन्जर नोटिस" अर्थात एक निष्क्रिय उपस्कर से संसलन एक नोटिस जो ऐसे उपस्कर के सक्रिय किए जा सकने से जुड़ी चेतावनी देने के लिए हो और उस पर ये शब्द अंकित हो "खतरा" कार्य चल रहा है।
- स0 नि0.17.02 (12) "डैन्जर जोन" अर्थात 25 के0वी0 ए0सी0 कर्षण प्रणाली में किसी सक्रिय उपस्कर के दो मीटर की परिधि में मौजूद क्षेत्र अथवा 1500 डीसी प्रणाली के मामले में एक मीटर की परिधि, जिसमें सक्रियता की स्थिति में किसी भी कार्य की अनुमति नहीं होती।
उपरोक्त के रहते भी किसी विद्युत लोको के लोको पायलट को कैब के फ्लोर स्तर पर बफर बीम प्रोजेक्शन पर रहते हुए हेड लाइट डिब्बा बदलने की अनुमति होती है।
- स0 नि0.17.02 (13) "डेड इविवपमैन्ट" अर्थात कोई विद्युत उपस्कर जो विद्युतीय तौर से सक्रिय नहीं है, परन्तु धरती से जुड़ा नहीं है।
- स0 नि0.17.02 (14) "ड्रापर" अर्थात उपरिगामी उपस्कर निर्माण में रज्जुका (कैटेनरी) से सम्पर्क तार को सहारा देने में प्रयुक्त फिटिंग।
- स0 नि0.17.02 (15) "अर्थ" अर्थात सीधे विद्युत कनेक्शन में किसी कन्डक्टर से जमीन का सवाही पुंज।
- स0 नि0.17.02 (16) "इलेक्ट्रिकल इविवपमैन्ट" अर्थात विद्युत उर्जा को उत्पन्न करने, सम्प्रेषित करने अथवा उपयोग करने हेतु प्रयुक्त कोई यंत्र/उपकरण।
- स0 नि0.17.02 (17) "इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक" अर्थात कर्षण उपरिगामी उपस्कर उपलब्धता वाले ट्रैक।
- स0 नि0.17.02 (18) "फीडर" अर्थात एक कन्डक्टर जो जोड़ता हो (क) एक उत्पादन स्टेशन को किसी उप स्टेशन अथवा फीडिंग बिन्दु से अथवा (ख) किसी उप-स्टेशन को एक फीडिंग बिन्दु से।
फीडर का अर्थ एक कन्डक्टर के किसी स्विचिंग स्टेशन को एक उप स्टेशन से और किसी स्विचिंग स्टेशन या स्विच ढांचे के फीडिंग बिन्दु से जोड़ना भी हो। फीडर में किसी कन्डक्टर के ओ0 एच0 ई0 से स्विचिंग स्टेशन को जोड़ना भी सम्मिलित है।
- स0 नि0 17.02 (19) "ग्रिड सब स्टेशन" अर्थात पावर आपूर्ति प्राधिकरण का ट्रांसफार्मर और स्विच गियर से सुसज्जित उप स्टेशन, जहाँ 25 के0वी0 पावर विद्युत कर्षण को आपूर्ति किया जाता है।
- स0 नि0 17.02 (20) "गार्डेड" अर्थात उपयुक्त केसिंग, बैरियर, रेल अथवा धातु स्क्रीन से आच्छादित परिरक्षित घेरा हुआ अथवा किसी अन्य रूप से सुरक्षित जिससे खतरों के बिन्दु तक व्यक्तियों अथवा वस्तु के खतरनाक सम्प अथवा पहुँच की सम्भावना दूर की जा सके।
- स0 नि0 17.02 (21) "इन्डिपेन्डेंट एयर ब्रेक हैण्डल" अर्थात किसी विद्युत लोको मोटिव पर स्वतंत्र एयर-ब्रेकों की क्रिया को नियंत्रित करने का स्थानान्तरणीय अथवा स्थापित हैण्डल।
- स0 नि0 17.02 (22) "इन्सुलेटर और इन्सुलेटिंग मेटैरियल" अर्थात सामग्री जो विद्युत धारा के प्रवाह को, गुरुत्व के अनेक क्रम में बहुत ऊँचा प्रतिरोध प्रदान करें।

- S.R.17.02 (6) "Circuit breaker" means a device for closing and opening an electrical circuit under all condition of load unless otherwise specified and so designed as to open the circuit automatically under defined abnormal conditions.
- S.R.17.02 (7) "Conductor" means a body or substance which offers a low resistance to the passage of an electric current.
- (i) "Phase Conductor" means a conductor, which carries current to the traction overhead equipment.
- (ii) "Return Conductor" means a conductor, which collects the return current at the track rails and carries it to the sub-station. Return conductor includes also a special insulated overhead conductor carrying the return current collected by a booster transformer from the tracks.
- S.R.17.02 (8) "Contact Wire" means an overhead conductor from which electric power is supplied to electric rolling stock.
- S.R.17.02 (9) "Cut-out (fuse)" means any appliance for automatically interrupting the transmission of energy through any conductor when the current rises above predetermined value.
- S.R.17.02 (10) "Danger" means danger to health or to life or any part of body from shock burn or other injury to persons, or property, or from fire or explosion, attendant upon transmission, transformation, conversion, distribution or use of electrical energy.
- S.R.17.02 (11) "Danger Notice" means a notice attached to dead equipment to convey a warning against such equipment being made alive, and bearing the words "Danger – Men Working".
- S.R.17.02 (12) "Danger Zone" means the Zone lying within two meters of any live equipment in the 25 KV A C traction system or one meter in the case of 1500 DC system in which no work is permitted when the equipment is alive.
- Notwithstanding above, the Loco Pilot of an electric loco is permitted to change the headlight bulb of the while standing on the buffer beam projection at the floor level of the cab.
- S.R.17.02 (13) "Dead equipment" means any electrical equipment which is not electrically alive, but not connected to earth.
- S.R.17.02 (14) "Dropper" means a fitting used in overhead equipment construction for supporting the contact wire from the catenary's.
- S.R.17.02 (15). "Earth" means the conducting mass of the earth of any conductors in direct electrical connection therewith.
- S.R.17.02 (16) "Electrical equipment" means any apparatus which is used for generation, transmission or utilization of electrical energy.
- S.R.17.02 (17) "Electrified Track" means tracks provided with traction overhead equipment.
- S.R.17.02 (18) "Feeder" means conductor connecting (a) a generating station with a sub-station or feeding point, or (b) a sub-station with a feeding point.
- Feeder also means a conductor connecting a switching station to a sub-station and a switching station or switch gantry to a feeding point. Feeder also includes a conductor connecting OHE to switching station.
- S.R.17.02 (19) "Grid sub-station" means a sub-station equipped with transformer and switchgear belonging to the power supply authority from where power at 25 KV is supplied for electric traction.
- S.R.17.02 (20) "Guarded" means covered, shielded, fenced or otherwise protected by means of suitable casing, barrier, rails or metal screens to remove the possibility of dangerous contact or approach by persons or objects to points of danger.
- S.R.17.02 (21) "Independent Air-Brake Handle" means a removable or fixed handle controlling the application of independent air-brakes on electric locomotive.
- S.R.17.02 (22) "Insulator or Insulating Material" means material which offers very high resistance of several orders of magnitude to the passage of an electric current.

- स0 नि0 17.02 (23) "इन्सुलेटेड (एयर गैप) ओवरली-स्पैन" अर्थात किसी ट्रैक पर एक व्यवस्था अथवा उपरगामी उपस्कर जहाँ कर्षण कन्डक्टरों के सेट एक दूसरे के बराबर में लगे हों जो किसी स्थायी आपसी जोड़ के बगैर हो जो विद्युत चल स्टाक के पेन्टोग्राफ को निर्वाध गति देने के लिए कम दूरी के हो और समूह पर उचित वायु अन्तर से तार के दो सेटों जो एक दूसरे से रोधी हों, से परिवर्तन कर सकते हो ।
- स0 नि0 17.02 (24) (i) "इन्टरप्टर" अर्थात बिना किसी स्वचालित ट्रिपिंग उपकरण का एक एकल फेज आयल सर्किट ब्रेकर। इनको बी0एस0 के रूप में जानते हैं इस निर्भरता पर कि चाहे वे मुख्य लाइन अथवा यार्डों के लिए हों।
- (ii) 'रिजिंग इन्टरप्टर' अर्थात उपरगामी उपस्कर के सामान्य सेक्टर को आपूर्ति देने वाले उप स्टेशन को सामर्थ्य प्रदान करने वाला पास के उप स्टेशन को आपात स्थिति में अथवा जब पास का उप स्टेशन प्रयोग में न हो उस समय एवजी आपूर्ति देने वाला न्यूट्रल खण्ड पर लगा एक बाधक। यह बाधक सामान्य खुली अवस्था में ही रहता है।
- (iii) "सेक्शन इन्टर्प्टर" अर्थात एक बाधक आपूर्ति बनाए रखने हेतु पास के उप सेक्टरों को आपस में जोड़े रखता है। यह बाधक वोल्टेज घटोत्तरी कम करने हेतु सामान्यतः बन्द स्थिति में रहता है।
- स0 नि0 17.02 (25) "आइसोलेटर" अर्थात लोड अवस्थिति में (1500 वीडीसी में कर्षण में प्रयुक्त) सर्किट विच्छेदन हेतु उपयुक्त स्विच।
- "लाइनमैन" अर्थात ओवर हेड लाइनर और उससे जुड़े स्विचों का निरीक्षण करने और उस कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति।
- स0 नि0 17.02 (26) "लाइव इक्विपेन्ट" अर्थात विद्युत उपकरण जो विद्युतीय रूप से सक्रिय हो। विद्युत उपकरण तब सक्रिय है जब उसके और धरती के मध्य अन्तः शक्ति का ऐसा अन्तर मौजूद हो अथवा वह किसी अन्य कन्डक्टर या सर्किट से जुड़ा हो जिसमें अन्तः शक्ति का ऐसा अन्तर मौजूद हो।
- "मोटर कोच" अर्थात एक कोच जो कर्षण मोटरों से और उसको चलाने के लिए आवश्यक नियंत्रण और पावर उपकरण से सुसज्जित हो।
- "मोटरमैन" अर्थात किसी एकल अथवा अनेक इकाई गाड़ी का विधिवत प्रमाणिक लोको पायलट।
- "आपरेटर" अर्थात ड्यूटी पर उपस्थित एक व्यक्ति जो स्विचिंग स्टेशन का प्रभारी हो
- स0 नि0 17.02 (27) "उपरिगामी उपस्कर" अर्थात सम्बन्धित फिटिंग, इंसुलेटर तथा अन्य संयोजनों के साथ लगा विद्युत कन्डक्टर जिसके माध्यम से वे लटके तथा स्थिति में स्थापित रहते हैं।
- उपस्कर, वितरण लाइन ट्रांसमिशन लाइन और फीडर को समेकित रूप से "उपरिगामी लाइन" कहा जा सकता है।
- स0 नि0 17.02 (28) "पैन्टोग्राफ" अर्थात वह दबने वाला साधन जो किसी विद्युत इंजन या मोटर कोच की इंसुलेटेड छत के ऊपर लगाया जाता है और जिसमें उपरगामी उपस्कर से सम्पर्क करने हेतु उपकरण लगे रहते हैं।
- स0 नि0 17.02 (29) "परमिट टू वर्क" अर्थात एक घोषणा प्रपत्र जो किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और दिया गया हो जो किसी व्यक्ति को किसी विद्युत उपकरण पर अथवा उसके पास कार्य किए जाने हेतु हो, जिससे उस व्यक्ति के निष्क्रिय और संयोजित और सुरक्षित उपकरणों की जानकारी दी जा सके जिस पर अथवा जिसके पास कार्य होना है।
- (क) "रिमोट कन्ट्रोल क्यूबिकिल" अर्थात स्विचिंग स्टेशन में एक कमरा, जहाँ केन्द्र पर स्थित स्विच गियर को रिमोट संचालन हेतु रिमोट नियंत्रण उपकरण और बैटरियां स्थापित की हों।
- (ख) "रिमोट कन्ट्रोल पोस्ट" अर्थात वो केन्द्र जहाँ से कर्षण पावर नियंत्रक द्वारा विभिन्न स्विचिंग स्टेशनों के उपकरण रिमोट नियंत्रित किए जाए।
- "रेल बॉण्ड" अर्थात रेल ट्रैक के जोड़ो अथवा उसकी निकटवर्ती दूरी के मध्य एक विद्युत कनेक्शन।
- (i) "कान्टिन्यूइटी बाण्ड" अर्थात प्वाइंटों और क्रॉसिंगों पर रेल प्रतिसम्प्रेषण सर्किट को अनुरक्षित रखने हेतु प्रयुक्त रेल बंध।
- (ii) "रेलपथ प्रतिगमन" (ट्रैक रिटर्न) का अर्थ रेलपथ के उन रेलों से है जिसका प्रयोग उप स्टेशन को निषेधात्मक या वापसी मार्ग दर्शक के रूप में होता है।
- (iii) "अनुप्रस्थ बंधन" (क्रॉस बाण्ड) का तात्पर्य रेल पथ के दो रेलों या सम्मुख रेलपथ के रेलों को एक साथ संयोजन करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली रेल बंधन से है।

- S.R.17.02 (23) “Insulated (Air-Gap) Overlap-Span” means an arrangement or overhead equipments over a track where two sets of traction conductors are laid parallel to each other without any permanent inter connecting for a short distance providing for a smooth passage for the pantograph of electric rolling stock and change over the collection from the either of the two sets of wires being insulated from each other by an adequate air-gap.
- S.R.17.02 (24) (i) “Interrupter” means a single phase oil circuit breaker without an automatic tripping device. These are designated as ‘B.S’ depending upon whether they are for the main line or the yards.
- (ii) “Ridging Interrupter” means an interrupter which is provided at a neutral section to enable one sub-station feeding a normal sector of the overhead equipment or is extended to give an alternative feed to the adjacent sub-station sector during emergencies or when the adjacent sub-station is put out of use. This interrupter normally remains only in the open position.
- (iii) “Section Interrupter” means an interrupter which connect adjacent sub-sections together to maintain continuity of supply. This interrupter normally remains in closed position to reduce voltage drop.
- S.R.17.02 (25) “Isolator” means a switch suitable for disconnecting circuit on no load condition (used in 1500 V DC traction)
- “Line man” means a person authorized to inspect and work on the overhead liner and switches in relation there with.
- S.R.17.02 (26) “Live Equipment” means any electrical equipment which is electrically alive. Electrical equipment is alive when a difference of potential exists between it and earth or when it is connected to another conductor or circuit in which such a difference of potential exists.
- “Motor Coach” means a coach equipped with traction motors and with the necessary control and power apparatus for operating them.
- “Motorman” means a duly certified Loco Pilot of a single or multiple unit train.
- “Operator” means a person on duty who is incharge of switching station.
- S.R.17.02 (27) “Overhead Equipment (OHE)” means the electrical conductor over the track together with their associated fittings, insulators and other attachment by means of which they are suspended and registered in position.
- All overhead electrical equipment, distribution lines, transmission lines and feeders may be collectively referred to as “overhead lines”.
- S.R.17.02 (28) “Pantograph” means a collapsible device mounted on and insulated from the roof of an electric engine or motor coach and provided with a means for establishing contact with the overhead equipment.
- S.R.17.02 (29) “Permit-to-work” means a form of declaration signed and given by an authorized person to a person incharge of the work to be carried out on or adjacent to any electrical equipment for the purpose of making known to such person exactly what equipment is dead and earthed and safe to be worked on or adjacent to.
- (a) “Remote Control Cubicle” means a room in a switching station in which remote control equipment and batteries is erected for remote operation of switch gear located at the post.
- (b) “Remote Control Post” means the center from which the equipment at various switching stations is remote controlled by the Traction Power Controller.
- “Rail Bond” means an electrical connection across joint in or between adjacent lengths of track rail”.
- (i) “Continuity Bond” means a rail bond used for maintaining continuity of the rail return circuit at points and crossings.
- (ii) “Track Return” means the track rails when used as the negative or return conductor to the sub-station.
- (iii) “Cross Bond” means a rail bond used for connecting together two rails of a track or rails of adjacent tracks.

- (iv) "प्रतिबाधा बंधन" (इम्पीडेंस बांड) का तात्पर्य है सिगनल एवं दूर संचार विभाग द्वारा दोहरी रेलपथ परिपथ पर बंधन स्थापित किया जाना है जो संकर्षण प्रतिगमन धारा के लिए निम्न प्रतिबाधा पथ और रेलपथ परिपथ धारा के लिए उपेक्षाकृत उच्च प्रतिबाधा पथ की व्यवस्था करना है।
- (v) "जोड़ बंधन" (ज्वाइंट बंधन) का तात्पर्य रेल पथ परिगमन के भाग के रूप में दो सम्मुख लंबाई के रेलों के बीच जोड़ के आर-पार विद्युतीय कनेक्शन से है।
- (vi) संरचना बंधन का तात्पर्य संकर्षण संरचना स्थित कार्य (शिरोपरि उपस्कर मास्टस सपोर्टिंग) रेल पथ संरचना, पुल या स्टेशन भवन जहाँ संकर्षण शिरोपरि उपस्कर को जोड़ा गया है और रेलपथ प्रतिगमन के बीच उस विद्युतीय उपस्कर को जोड़ा गया है।
- स0 नि0 17.02 (30) "एकल इकाई ट्रेनों (सिगनल यूनिट ट्रेन्स) का अर्थ मोटर कोच और ट्रेलर के उस संयोजन या परिचालनिक इकाई के रूप में रेल प्रशासन द्वारा अपनाए गये उस मोटर कोच एवं ट्रेलर से है।
- स0 नि0 17.02 (31) "बहु इकाई ट्रेन" (मल्टीयूनिट ट्रेन) (ईएमयू) का अर्थ उस दो या अधिक एकलइकाई ट्रेनों से है जिसमें प्रत्येक में 3 या 4 जोड़े कोच एक साथ होते हैं और जो एक ट्रेन के रूप में परिचालित होता है और जिसे एकल प्रमुख ड्राइविंग केबिन से ड्राइविंग (संचालन) किया जाता है।
- "स्विच (विद्युतीय)" स्विच (इलेक्ट्रिकल) का अर्थ एक विद्युतीय परिपथ के खुलने या बन्द होने के विभागजक से है।
- (i) "स्विच वैकल्पिक प्रभरण" (स्विच अल्टरनेटिव फीड) का अर्थ शिरोपरि उपस्कर के वैकल्पिक लाइन सेक्शन को शिरोपरि उपस्कर के लूप या साइडिंग या क्रॉसओवर से जोड़ने हेतु उपयोग से लाई जाने वाले स्विच से है।
- (ii) "गैंग परिचालित स्विच, अर्थ टाइप" (स्विच, गैंग आपरेटेड, अर्थ टाइप) का अर्थ उस विशेष स्विच से है जो विद्युत लोको निरीक्षण पिटों से उपर और विद्युत लोको शेडों में (और कैरेज, कोचिंग सेक्शनों) आइसोलेटिंग और ओ. एच. ई. के अर्थिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है।
- (iii) "स्विच इंटरकनेक्टिंग, कनेक्शन या पृथककारी" (आइसोलेटर) का अर्थ सम्मुख प्रारम्भिक सेक्शनों या शिरोपरि उपस्कर या वितरण मेंमो के सम्पर्क या सम्पर्क काटने हेतु उपयोग में लाए जाने वाले स्विच से है।
- (iv) "स्विच गियर" का अर्थ पृथककारी स्विचों, परिपथ अवरोधक, अंतरायकों (इंटरप्टर्स), कट-आउटों और सक्रियता हेतु उपयोग में लाए गये अन्य उपकरणों विद्युतीय परिपथों के नियमन एवं नियंत्रण से है।
- (v) "साइडिंग स्विच" का अर्थ सामान्य शिरोपरि उपकरण प्रणाली के या उसके साइडिंग के शिरोपरि उपकरण को सम्पर्क या सम्पर्क काटने हेतु उपयोग में लाये जाने वाले स्विच से है।
- (vi) "सेक्शन स्विच" का अर्थ वितरण लाइन पर शिरोपरि उपकरण के सम्मुख सेक्शन से सम्पर्क करने या सम्पर्क काटने हेतु उपयोग में लाये जाने वाले स्विच से है।
- स0 नि0 17.02 (32) "सेक्टर" का अर्थ रेलपथ के शिरोपरि उपकरण के फीडिंग पोस्ट से सेक्शनिंग पोस्ट तक के सेक्शन से है।
- (i) उप-सेक्टर (सब सेक्टर) का अर्थ शिरोपरि उपकरण के लघुत्तम सेक्शन से है जिसे अतरायकों के प्रारम्भिक सिरे द्वारा पृथक किया जा सकता है।
- (ii) "प्रारम्भिक सेक्शन" (एलिमेंटरी सेक्शन) का अर्थ शिरोपरि उपकरण के लघुत्तम सेक्शन से है जिसे स्वीचिंग आपरेशन द्वारा प्रणाली को बाकी हिस्सों से पृथक किया जा सकता है।
- स0 नि0 17.02 (33) स्विचिंग स्टेशन या आपूर्ति नियंत्रण पोस्ट (स्विचिंग स्टेशन और सप्लाय कंट्रोल पोस्ट) का अर्थ अंतरायको के वाह्य सज्जीकरण पृथक स्वीचों और अन्य उपकरण (क्यूबिकल में लगाए गये रिमोट नियंत्रण) उपकरण सहित जिसे शिरोपरि उपकरण को पावर आपूर्ति नियंत्रण हेतु लगाया गया हो इनमें उप स्टेशन फीडिंग पोस्ट परिच्छेदन (सेक्शनिंग) और पैरलेलिंग पोस्ट, उप परिच्छेदन (सब सेक्शनिंग) और पैरलेलिंग पोस्ट यार्ड आपूर्ति पोस्ट तथा रेलपथ परिच्छेदन केबिन सम्मिलित है।
- (i) "उप-स्टेशन फीडिंग पोस्ट" (सब स्टेशन फीडिंग पोस्ट) (एसएस/एफपी) का अर्थ उस स्वीचिंग स्टेशन से है जहाँ ग्रिड उप स्टेशन से इन कर्मिंग फीडर लाइन समाप्त होती है और परिपथ वियोजक परिवर्तक (ट्रांसफार्मर) एवं अंतरायकों से शिरोपरि उपकरण तक पावर की आपूर्ति की जाती है।
- (ii) "परिच्छेद (सेक्शनिंग) और पार्श्व सम्बन्धक (पैरलेलिंग) पोस्ट (एसएसपी)" का अर्थ न्यूट्रल

- (iv) “Impedance Bond” means a bond installed on double rail track circuit by the S&T department, which provided a low impedance path for the traction return current and relatively high impedance path for track circuit current.
 - (v) “Join Bond” means an electrical connection across a joint between two adjacent lengths of rail as part of the track return.
 - (vi) “Structure Bond” means an electrical connection between the steel work of a traction structure (overhead equipment supporting masts), track structure, bridge or station building to which the traction overhead equipment is attached and track return.
- S.R.17.02 (30) “Single Unit Trains” means the combination of motor coach and trailer or motor coach and trailers adopted by a Railway Administration as an operating unit.
- S.R.17.02 (31) “Multiple Unit Train (EMU)” means a train consisting of two or more single unit trains each consisting of 3 or 4 coaches coupled together and operated as one train, by driving from a single leading driving cabin.
- “Switch (Electrical)” means a device for opening or closing an electrical circuit.
- (i) “Switch alternative Feed” means a switch used for connecting the overhead equipment of a loop or siding or crossover to an alternative line section of the overhead equipment.
 - (ii) “Switch Gang Operated, Earth Type” means a special switch which is used for isolating and earthing the OHE over electric loco inspection pits and in electric loco sheds (and carriage, coaching section).
 - (iii) “Switch, Inter-connecting, Section or isolator” means a switch used for connection or disconnecting adjacent elementary sections or overhead equipment or of distribution mains.
 - (iv) “Switchgear” means isolator switches, circuit breakers, interrupters, cut outs and other apparatus used for the operation, regulation and control of electrical circuits.
 - (v) “Siding Switch” means a switch used for connecting or disconnecting the overhead equipment of sidings to or from the general overhead equipments system.
 - (vi) “Section Switch” means a switch used for connecting or disconnecting adjacent sections of overhead equipment on distribution line.
- S.R.17.02 (32). “Sector” means a section of overhead equipment of a track from a feeding post to a sectioning post.
- (i) “Sub Sector” means the shortest section of overhead equipment which can be isolated by the opening of interrupters.
 - (ii) “Elementary section” means the shortest section of overhead equipment which can be isolated from the rest of the system by switching operations.
- S.R.17.02 (33) “Switching Stations or Supply Control Post” means an outdoor assembly of interrupters, isolator switches and other apparatus (including remote control equipment installed in a cubicle), provided for controlling power supply to overhead equipment. It includes sub-station feeding posts, sectioning and paralleling posts, sub-sectioning and paralleling posts, yard supply posts and track sectioning cabins.
- (i) “Sub-station Feeding Post (SS/FP)” means a switching station where the incoming feeder lines from grid sub-station are terminated and power is supplied to the overhead equipment through circuit breakers, transformers and interrupters.
 - (ii) “Sectioning and Paralleling Post (SP)” means a switching station situated midway

सेक्शन पर दो फीडिंग पोस्टों के बीच मध्य में स्थित स्वीचिंग स्टेशन से है और ब्रिजिंग तथा पैरलेलिंग सेक्शन अंतरोयकों से व्यवस्थित है।

- (iii) "उप-परिच्छेदन (सब सेक्शनिंग) एवं पार्श्व सम्बंधक (पैरलेलिंग) पोस्ट (एसएसपी)" का अर्थ एक आपूर्ति नियंत्रण पोस्ट से है जहाँ सेक्शनिंग एवं पैरलेलिंग अंतरोयकों की व्यवस्था है।
- (iv) "यार्ड आपूर्ति पोस्ट" (यार्ड सप्लाय पोस्ट) (वाई0एस0) का अर्थ एक स्वीचिंग स्टेशन से है जहाँ फीडिंग यार्ड के लिए सेक्शनिंग (परिच्छेदन) अंतरोयकों की व्यवस्था है।
- (v) "रेल परिच्छेदन (सेक्शनिंग) केबिन (ट्रेन सेक्शनिंग केबिन)" का अर्थ एक विद्युतीय संस्थापन से है जिसमें 1500 डी0सी0 कर्षण हेतु रेलपथ परिच्छेदन उपकरण लगे हों, इसे रेलपथ केबिन के रूप में भी उल्लिखित किया जाता है।
- (vi) रेलपथ प्रतिगमन (ट्रेन रिटर्न) का अर्थ उस रेलपथ रेलों से है जिसे उप स्टेशन की ओर कर्षण प्रवाह के प्रतिगमन हेतु प्रतिगमन संवाहत के रूप में उपयोग में लाया जाता है।

स0 नि0 17.02 (34) "कर्षण (ट्रैक्शन)" का अर्थ विद्युत कर्षण से है।

स0 नि0 17.02 (35) "यातायात अवरुद्ध" (ट्रैफिक ब्लॉक) का अर्थ एक विशेष सेक्शन के रेलपथ/रेलपथो पर सभी यातायात के आवागमन के विरुद्ध रेलपथ का अवरुद्ध होने से है।

"रेलपथ परिपथ" का अर्थ उस विद्युतीय परिपथ से है जो रेलपथ के रेल का एक हिस्सा है।

- (i) "वोल्टता" का अर्थ किसी दो संवाहकों के बीच वोल्टों में मापे गये विद्युतीय पोटेंशियल के अन्तर या उपयुक्त वोल्ट मीटर द्वारा संवाहक के किसी भाग और अर्थ के बीच मापक से है।
- (ii) उच्च वोल्टता का अर्थ उस वोल्ट से है जिसके अन्तर्गत सामान्य क्रिया दशा को 650 वोल्टों से अधिक बढ़ाई जा सकती है।

स0 नि0 17.02 (36) "दोषपूर्ण सेक्शन" (फाल्टी सेक्शन) का अर्थ विद्युत कर्षण/ओ0एच0ई0 के उस हिस्से से है जो दोषपूर्ण सेक्शन के अव्यवस्थित होने के उपरान्त उर्जित नहीं होता

स0 नि0 17.02 (37) "स्वस्थ सेक्शन" (हेल्दी सेक्शन) का अर्थ विद्युत कर्षण/ओ0एच0ई0 के उस हिस्से से है जो दोषपूर्ण सेक्शन के पृथक होने के उपरान्त उर्जित पाया जाता।

17.03. विद्युत रेल-पथ तथा निर्माण-कार्य निरीक्षण:- विद्युत रेल-पथ और निर्माण-कार्यों का निरीक्षण, इस प्रयोजन के लिए नामित अधिकारियों द्वारा विशेष अनुदेशों के अनुसार और उन्हें सौंपे गये कर्तव्यों के अनुरूप, नियमित रूप से किया जायेगा।

स0 नि0 17.03 (1) सामान्य नियम 17.03 में वर्णित निरीक्षण को कर्षण नियमावली में निहित निर्देशों के साथ अनुपालन किया जाएगा जो निम्नलिखित है:-

क्र0सं0	निरीक्षण की प्रकृति	वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजी0	मं0वि.ई0	सहा0 विद्युत इंजी0	सी0टी0एफ0ओ0 एफ0एफ0ओ0 ए0टी0एफ0ओ0
1	लोको मोटिव केबिन	1	1	2	2/2/2
2	ओ0एच0ई0 निरीक्षण कार	1	2	3	4/4/6
3	पुश ट्राली	1	2	2	4/4/4
4	टी0एच0ई0 विभाग	1	2		4/-/-
5	स्टेशन	1	1	2	4/4/4
6	रात्रि निरीक्षण	1	1	1	2/2/2
7	कार्यालय निरीक्षण	1	1	1	1/1/1

नोट - (i) ये निरीक्षण प्रतिमाह न्यून मात्रा के हैं।

(ii) पर्यवेक्षकीय कर्मचारी के लिए निरीक्षण उनके अपने परिक्षेत्रों से सम्बन्धित है।

(iii) मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण का कोटा मुख्य विद्युत इंजीनियर द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा।

स0 नि0 17.03 (2) सतर्कता आदेश का जारी किया जाना- शिरोपरि उपकरण के भंग होने के मामले में, जब किसी गाड़ी को सावधानी पूर्वक गुजरना आवश्यक हो तो कर्षण फोरमैन (शिरोपरि उपकरण) ऐसे अधिसूचना के लिए उत्तरदायी होगा और प्रचलित नियमों के अनुसार सतर्कता आदेश

between two feeding posts at a neutral section and provided with bridging and paralleling section interrupters.

- (iii) Sub-sectioning and Paralleling Post (SSP)" means a supply control post where sectioning and paralleling interrupters are provided.
- (iv) "Yard Supply Post (YS)" means a switching station where sectioning interrupters are provided for feeding yard.
- (v) "Track Sectioning Cabin" means an electrical installation containing track sectioning equipment for 1500 DC Traction. This is also referred to as track cabin.
- (vi) "Track Return" means the track rails when used as the return conductor for the traction current to return to the sub-station.

S.R.17.02 (34) "Traction" means electric traction.

S.R.17.02 (35) "Traffic Block" means blocking of track against movement of all traffic on a track/tracks over a particular section.

"Track Circuit" means an electrical circuit of which the rail of the track forms part.

- (i) "Voltage" means the difference of electric potential measured in volts between any two conductors or between any part of either conductor and the earth as measured by the suitable voltmeter.
- (ii) "High Voltage" means a voltage which under ordinary working conditions may exceed 650 volts.

S.R.17.02 (36) "Faulty Section" means that portion of electric traction/OHE, which is not energized due to any fault on OHE temporarily.

S.R.17.02 (37) "Healthy Section" means that portion of electric traction/OHE which was found energize after dislocating faulty section.

17.03 Inspection of electrical way and works:- the electrical way and works shall be inspected regularly in accordance with special instructions by officials nominated for the purpose and in accordance with the duties assigned to them.

S.R.17.03(1) The inspection as mentioned in G.R 17.03 shall be carried out in accordance with the instructions laid down in Traction Manual. Which is given as under: -

SCHEDULE OF MONTHLY INSPECTION

Sr. No.	Nature of inspection	Sr. DEE	DEE	AEE	CTFO/FFO/ATFO
1.	Locomotive Cab	1	1	2	2/2/2
2.	OHE Inspection Car	1	2	3	4/4/6
3.	Push Trolley	1	2	2	4/4/4
4.	OHE Department	1	2	4	4/-/-
5.	Station	1	1	2	4/4/4
6	Night Inspection	1	1	1	2/2/2
7.	Office Inspection	1	1	1	1/1/1

- Note: (i) These inspection are the minimum quantum per month.
(ii) In respect of supervisory staff the inspection pertain to their respective jurisdiction.
(iii) Quota of inspection by HQ Officers may be laid down by CEE.

S.R.17.03 (2) Issue of Caution Order: in case of breakdown of overhead equipment, when it is necessary for a train to proceed cautiously, the Traction Foreman (Overhead Equipment) responsible for such notification, shall arrange for issue of Caution Order in accordance

जारी करने की व्यवस्था करेगा। जूनियर इंजीनियर/विद्युत रैंक से ऊँचा एक प्राधिकृत व्यक्ति कार्य स्थल पर उपस्थित रहेगा और सामान्य नियम 4.09 तथा सहायक नियम में निर्धारित सिगनल दिखाने हेतु उत्तर दायी होगा।

स0 नि0 17.03 (3) विद्युत सेक्शन में ट्रेनों का संरक्षण— जब एक लोको पायलट (लोको पायलट) जान जाता है कि शिरोपरि उपकरण के ओ0एच0ई0 विफल होने/भंग (ब्रेकडाउन) होने के कारण उसकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है तो सामान्य नियम 6.03 के अनुसार लोको पायलट और गार्ड को उस क्षतिग्रस्त लाइन के संरक्षण की व्यवस्था करनी होगी स्वचालित सिगनलिंग सेक्शन में भंग (ब्रेकडाउन) होने के मामले में सामान्य नियम 9.10 के अनुसार रेलपथ का संरक्षण अवश्य किया जाएगा। उसके उपरान्त लोको पायलट/गार्ड निकट के आपातकालीन टेलीफोन परिपथ से भंग (ब्रेकडाउन) का विस्तृत विवरण देते हुए कर्षण पावर नियंत्रण को कार्रवाई करने की सलाह देगा।

यदि यह परिपथ उपलब्ध नहीं है तो प्रथम उपलब्ध साधनों से निकटवर्ती स्टेशन मास्टर/केबिन सहा0 स्टेशन मास्टर को सूचना संप्रेषित की जाएगी।

17.04. विद्युत उपस्कर पर कार्य करने की अनुमति: यदि विद्युतीय उपकरण या उसके किसी अन्य हिस्से के सम्मुख सक्षम/प्राधिकृत रेलवे कर्मों के अलावा किसी अन्य से कार्य सम्पादित करवाया जाना है तो ऐसे कार्यों को करवाने के लिए कार्य के प्रभारी व्यक्ति से कार्य की लिखित अनुमति लेना पड़ेगा जो हस्ताक्षरित होगा और विशेष निर्देशों द्वारा कार्य के लिए सक्षम रेल कर्मों द्वारा दिया जाएगा। वह उस आदेश को केवल कर्षण पावर नियंत्रक के संज्ञान से जारी करेगा।

स0 नि0 17.04(1) (क): यदि कार्य को सम्पादित किया जाना है या श्रमिक को शिरोपरि उपकरण के दो मीटर (6'-7') के भीतर आने की आवश्यकता हो तो निम्न प्रपत्र पर कार्य की अनुमति अवश्य ली जानी चाहिए।

क्र0सं0

दिनांक.....

..... से

पर.....

.....को

.....पर।

मैं, एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि निम्न विद्युतीय उपकरण, जो सभी लाइव संवाहको से पृथक डेड हैं और अर्थ से संबद्ध हैं, पर या उसके निकट कार्य करना सुरक्षित है।

(सेक्टर, उपसेक्टर, प्रारम्भिक सेक्शन आदि)

अन्य सभी हिस्से खतरनाक हैं। उपकरण तब तक निष्क्रिय रहेंगे जब तक कार्य के प्रभारी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित कर इसकी अनुमति को लौटाया नहीं जाता।

दिनांक..... कोबजे.....

स्थानस्थानके लिए मेरे द्वारा कर्षण पावर नियंत्रक को जारी किया गया कार्य की अनुमति दिए जाने की संख्या, दिनांक, तथा समय सूचित किया गया।

हस्ताक्षर

(प्राधिकृत व्यक्ति)

नाम

पदनाम

तिथि एवं समय

(ब) सम्बन्धित सेक्शन के कर्षण वितरण का कोई भी सक्षम कर्मचारी, जो वरिष्ठ लाइनमैन के स्तर से निचले स्तर का न हो, कार्य की अनुमति जारी कर सकता है बशर्ते मंडल विद्युत इंजीनियर (कर्षण वितरण) की पूर्व अनुमति ले ली गयी हो।

स0 नि0 17.04 (2) सक्रिय उपकरण के नजदीक सर्विस भवन एवं संरचना कार्य:—

रेलवे कर्मचारी से यह अपेक्षा की जाती है कि शिरोपरि उपकरण के समीप सर्विस भवन एवं संरचना पर कार्य करते समय विशेष सावधानी बरतेंगे ताकि उपकरण (यंत्र) नापने वाला फीता आदि ऐसी स्थिति में न रखे कि वह गिर जाये अथवा विद्युत उपकरण के सम्पर्क में आ जाये।

with the rules in force. An authorized person not below the rank of JE/Electrical shall be present at the site and shall be responsible for showing signals prescribed in G.R. 4.09 & S.R.'s thereto.

S.R.17.03 (3). Protection of trains in Electrified Section: Whenever a driver find that his train can not proceed further on account of OHE failure/brake down of over head equipment, driver and guard shall arrange protection of the line affected in accordance with G.R. 6.03. In case of brake down in an Automatic signaling section, the track must be protected in accordance with G.R. 9.10. Thereafter driver/guard will take action to advice the traction power controller on the nearest emergency telephone circuit giving details of the brake down. In case this circuit is not available, the information should be communicated through the nearest station master/cabin ASM by first available means.

17.04 Permit to work on electrical equipment: - If work is to be carried out adjacent to the electrical equipment or any other part thereof by other than the competent railway servant, such work shall be done only when and for such time as the person-in-charge of the work has obtained a written permit to work, duly signed and given by the railway servant authorized for the purpose by special instruction. He in turn shall issue the same only with the knowledge of the traction power controller.

S.R.17.04(1) (a) A permit to work must be obtained if work is to be carried out or worker is required to come within two meters (6'-7') of the overhead equipment on the following Proforma.

Permit to work on or near A C traction electrical equipment

Serial No.

Date

From

To

At

At

I hereby declare that it is safe to work on or near the following electrical equipment, which is dead isolated from all live conductors and is connected to earth.

Sate below exactly the electrical equipment on or near to which it is safe to work.

(Sector, sub sector, Elementary section etc.)

All other parts are dangerous.

The equipment shall not be alive until this permit to work is returned duly signed by the person in charge of the work

The No. of permit to work, date and time issued has been intimated by me to traction power controller at

At hrs. mts. On..... date.....

Signature.....

(Of the authorized person}

Name

Designation

Date & Time

(b) The permit to work can be issued by any competent traction distribution official not lower in rank than a senior lineman pertaining to the section concerned, subject to prior sanction of Divisional Electrical Engineer (Traction Distribution).

S.R.17.04 (2). Work on service building and structures in the vicinity of live equipment.


Railway staff required to carry out work on service building and structure in proximity of overhead equipment shall exercise special care to ensure that tools, measuring tapes, material etc, are not placed in a position from, which they are likely to fall on or make contact with electrical equipment.

17.05. कर्मचारियों तथा जनता को चेतावनी:-

- (1) सभी विद्युत उपस्करों को सदैव विद्युत आवेपित समझा जायेगा और परिणामस्वरूप वे मानव जीवन के लिए खतरनाक समझे जायेंगे, सिवाय उन परिस्थितियों में जिनमें किसी विद्युत उपस्कर को विशेष अनुदेशों के अनुसार, विशेषतः निष्क्रिय (डेड) कर दिया गया है। कर्मचारियों और जनता को चेतावनी देने के लिए, ताकि ये समुचित सतर्कता बरतें, सभी खतरनाक स्थलों पर प्रमुख रूप में चेतावनी सूचनायें (कासन नोटिसेज) लगा दी जायेंगी।
- (2) ऐसी स्थिति के सिवाय, जबकि ऊपरी उपस्कर विशेष अनुदेशों के अनुसार निष्क्रिय और शूयोजित (डेड एण्ड अर्थड) कर दिया गया है, कोई व्यक्ति न तो किसी ऊपरी उपस्कर के नीचे अवस्थित इंजनों या टैंडरों पर और न ही सवारी डिब्बों या माल डिब्बों की छत पर चढ़ेगा।

स0 नि0 17.05 (1) कर्षण मैनुअल में दिये गये निर्देशों के अनुसार विद्युत उपकरण को तभी निष्क्रिय घोषित किया जा सकता है जब उसे अलग करके जमीन पर रख दिया गया हो।

स0 नि0 17.05 (2) सावधान सूचनाओं को आगे असुरक्षित स्थान के नीचे प्रदर्शित किया जायेगा।



टिप्पणी - पैमाना एन0टी0एस-5

1. सभी आयाम मि0मी0 में।
2. सामग्री 1.6 मि0मी0 से 2.0 मि0मी0 की मोटाई वाली माइल्ड स्टील।
3. सामग्री-पार्ट इनेमल चढ़वाने के पूर्व छेद कर लिये जायें।
4. 5 मि0मी0 की मोटाई के गिलसैन्स (GILLSANS) स्टाइल के अक्षर जैसा प्रदर्शित है।
5. रंग निम्नलिखित के अनुसार :
 - (i) अक्षर - सफेद मौसमरोधी शीशे की परत चढ़ी।
 - (ii) पृष्ठभूमि - सिगनल लाल होंगे मौसमरोधी शीशे की परत चढ़ी।
6. पृष्ठ भाग में - काला मौसमरोधी शीशे की परत चढ़ी।

स0 नि0 17.05 (3) साधारण नियम 17.05 (2) के उद्देश्यों के लिये सामान्य एवं सहायक नियम 17.04 के अनुसार लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, सवारी डिब्बा कारखाना के कार्मिक एवं अन्य कोई भी व्यक्ति, जिन्हें इंजन या टैंडर या सवारी डिब्बों अथवा वैगनों के ऊपर चढ़ना अपेक्षित हो, उन्हें चढ़ने के पूर्व काम करने हेतु अनुमति लेना होगा।

17.06. रेल पथ में परिवर्तन: विद्युतीकरण रेल-पथ के संरक्षण (एलाइनमेंट) अथवा सतह में किसी तरह का परिवर्तन करने से पहले, ऊपरी उपस्कर के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को अपेक्षित सूचना दी जायेगी जिससे कि ऊपरी उपस्कर नई स्थितियों के अनुरूप समायोजित किये जा सकें।

स0 नि0 17.06 (1) साधारण नियम 17.06 के अर्न्तगत मंडल विद्युत इंजीनियर (कर्षण वितरण) को सूचना दी जायेगी।


17.07. निरावेपित (न्यूट्रल) सेक्शनों में इंजनों और विद्युत बहु-युनिटों के सर्किट ब्रेकर्स का ट्रिप हो जाना: यदि विशेष अनुदेशों द्वारा अन्यथा अनुमति नहीं दी गई है तो रेल इंजनों अथवा विद्युत

17.05 Warning to staff and public: -

- (1) All electrical equipment shall be regarded as being live at all times and consequently dangerous to human life save and except in case where the electrical equipment has been specially made dead in accordance with special instruction. Caution notices shall be prominently fixed near all Vulnerable places to warn staff and public to exercise due caution.
- (2) No person shall climb on the top of engines or tenders or on the roofs of carriages or wagons when those vehicles are located beneath overhead equipment except when the overhead equipment is dead and earthed in accordance with special instructions.

S.R. 17.05(1). Electric equipment may be declared to have been made dead only when it has been isolated and earthed as per instructions contained in Traction Manual.

S.R.17.05(2). Caution Notices of the type shown ahead shall be displayed near vulnerable location.



NOTE: - SCALE N.T.S.-5

1. ALL DIMENSIONS-IN mm.
2. MATERIAL -M.S. SHEET OF 1.6 mm. To 2.0 mm. THICKNESS.
3. HOLEA TO BE DRILLED BEFORE ENAMELLING.
4. LETTERING GILLSANS STYLE 5 mm. THICKNESS AS SHOWN.
5. COLOURS AS FOLLOWS :
 - (i) LETTERS-WHITE WEATHER PROOF VITREOUS ENAMELLED.
 - (ii) BACK GROUND - SIGNAL RED WEATHER PROOF VITREOUS ENAMELLED.
6. REAR SIDE :- BLACK W.P. - VIT. ENAMELLED.

S.R. 17.05 (3) - For the purpose of G.R. 17.05 (2), Loco Pilot, ALP, C&W staff & any other person required to climb on top of engines or tenders or on the roofs of carriages & wagons shall obtain a permit to work as per G.R. 17.04 before climbing up.

17.06. Alterations to track: - Before any alteration to alignment or level of electrified tracks is commenced due notice shall be given to those responsible for the overhead equipment so that the overhead equipment may be adjusted to conform to the new conditions.


S.R. 17.06 (1) - The notice under G.R. 17.06 shall be given to the Divisional Electrical Engineer (Traction Distribution).

17.07. Tripping of circuit breakers of locomotives and electrical multiple units at neutral sections:- Unless otherwise allowed by special instructions, the Loco Pilot of the

बहु-युनिटों के लोको पायलट, शक्ति स्विच समुचित रूप से आफ करके निरावेशित (न्यूट्रल) सेक्शन को पार करेंगे। शक्ति 'आफ' करने और 'आन' करने के लिए लाको पायलट के मार्गदर्शन के लिये इस आशय के आवश्यक संकेत-बोर्ड लगाये जायेंगे।


स0 नि0 17.07 (1) संकेतक को निष्क्रिय (न्यूट्रल) सेक्शन के आगे 500 मीटर और 250 मीटर की दूरी पर लगाया जायेगा। लोको पायलट को उस बिन्दु को दिखाने हेतु (न्यूट्रल) निष्क्रिय सेक्शन के बिलकुल करीब और तुरन्त पश्चात अतिरिक्त बोर्ड लगाये जायेंगे जहां वह इंजन पर सर्किट ब्रेकर को खोल और फिर बन्द कर सके। बोर्ड को ड्राइंग में क्रमशः क ख ग और घ के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

निरावेशित (न्यूट्रल) खण्ड में चेतावनी



चित्र 1 (क)

चित्र 2 (ख)



चित्र 3 (ग)

चित्र 4 (घ)

17.08. टावर वैगन: टावर वैगन के संचालन और परिचालन के नियम विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

स0 नि0 17.08 (1) गाड़ियों के संचालन को नियंत्रित करने वाले सभी नियमों द्वारा टावर वैगनों के संचालन को नियंत्रित किया जायेगा।

स0 नि0 17.08 (2) टावर वैगन का लोको पायलट:


- मंडल विद्युत इंजीनियर कर्षण द्वारा निश्चित रूप से जारी सक्षमता प्रमाण पत्र धारी अधिकृत व्यक्ति ही टावर वैगन का संचालन करेगा। यदि उपर्युक्त रीति से किसी व्यक्ति को अधिकृत नहीं किया गया है अथवा जिस खण्ड में टावर वैगन का परिचालन होना है उसकी जानकारी के साथ साथ उसे टावर परिचालन से पूर्व परिचित होना चाहिए।
- टावर वैगन की गति 40 किमी0 प्रतिघंटे से अधिक नहीं होगी बशर्ते इंजीनियरिंग, सिगनल अथवा अन्य विचारणीय आधार पर स्थाई या अस्थायी प्रतिबंध न हो।

स0 नि0 17.08(3) टावर वैगन पैंटोग्राफ (विद्युतग्राही) – टावर वैगन के छत पर आरोहित विद्युतग्राही (पैंटोग्राफ) का प्रयोग ए0सी0 कर्षण मैनुअल में सन्निहित निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

चालू लाइन पर टावर वैगन तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक कि चालक या इस उद्देश्य से सक्षमता प्रमाण पत्र धारी कर्मचारी टावर वैगन के परिचालन का प्रभारी न हो। मंडल विद्युत इंजी0 (कर्षण) बीसीटी द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे और उसके विभिन्न खण्डों पर कार्य करने की प्रक्रिया और

locomotive or electrical multiple unit shall coast through the neutral section, duly switching off powers. Necessary indication boards to this effect shall be provided to guide the Loco Pilot to switch off and switch on power.

S.R. 17.07(1) - Indication boards shall be provided at 500 metres and 250 metres in advance of the neutral section. Additional boards shall be provided just short of and immediately after the neutral section to indicate to the Loco Pilot the points where he should open and reclose the circuit breaker on the locomotive. The boards to be provided are shown at A, B, C and D respectively in the drawing.



17.08. Tower wagon: The rules for the movement and working of tower wagons shall be laid down by special instructions.

S.R. 17.08(1). The movement of tower wagons will be governed by all the rules governing movement of trains.

S.R. 17.08(2) Driving of Tower Wagon:-

- (i) No tower wagon shall be driven except by an authorised person who has competency certificate issued by DEE/TRO and no person shall be so authorised, unless he has knowledge of the section on which tower wagon is operating in addition to being conversant with the operation of tower wagon.
- (ii) The maximum speed of the tower wagon shall not exceed 40 K.M. per hour, subject to the restrictions temporary or permanent imposed on account of engineering, signalling or other considerations.

S.R. 17.08 (3) Tower Wagons Pantograph: The use of the pantograph mounted on the roof of the tower wagon shall be in accordance with the instructions contained in the A.C. Traction Manual.

Tower wagons shall not be worked on running lines unless a driver or an official holding a competency certificate for this purpose is on the tower wagon and is in charge of its movements. The certificate of competency shall be issued by DEE(T), BCT after a written,

संगत नियमों की लिखित मौखिक या व्यवहारिक परीक्षा के उपरान्त ही सक्षमता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

स0 नि0 17.08 (4) टावर वैगन पर घूमता हुआ टावर :-

- (i) घूमता हुआ टावर सामान्यतः टावर वैगन की लम्बाई के साथ होगा।
- (ii) घूमता हुआ टावर ऊँपर या नीचे केवल तभी होगा जब निचला वैगन स्थिर हो।
- (iii) घूमता हुआ वैगन सामान्य स्थिति में तभी संचालित होगा जब टावर वैगन स्थिर हो।
- (iv) टावर वैगन केवल तभी घुमेंगा जब घूमते हुए टावर को सामान्य स्थिति के बाद पीछे लाया जाये।

स0 नि0 17.08 (5) लैंडर ट्राली (सीढ़ी ट्राली) का कार्य:-

- (i) लैंडर ट्राली को "लारी" के रूप में समझा जायेगा तथा पथ पर उसका संचालन साधारण एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 द्वारा नियंत्रित किया जायेगा, और इसके पश्चात लारी के लिए लागू सहायक नियम का प्रयोग किया जायेगा।
- (ii) बाह्य एवं स्टेशन सीमा के अन्तर्गत दोनों तरफ लैंडर (सीढ़ी) ट्राली के कार्य का पर्यवेक्षण कर्षण वितरण कर्मचारी द्वारा किया जायेगा जो चार्जमैन स्तर से कम का नहीं होगा।

17.09. विद्युतिकृत सेक्शनों के लिए अतिरिक्त नियम:- विद्युतीकरण सेक्शनों में गाड़ियों के संचालन के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विशेष अनुदेश अधिसूचित किए जायेंगे।

स0 नि0 17.09 (1) सेक्शनिंग और सलाइडिंग स्विचेज शिरोपरि उपकरण में संस्थापित सेक्शन एवं सलाइडिंग स्विचों को केवल ऐसे कर्मचारियों द्वारा ही संचालित किया जायेगा जिसे ट्रेक्शन फोरमैन द्वारा इस प्रकार के कार्य करने हेतु प्रमाणित किया गया हो। इस उद्देश्य से सक्षमता प्रमाण पत्र 5 वर्ष की अवधि तक ही मान्य होगा।

स0 नि0 17.09 (2) मुख्य अथवा लूप रनिंग लाइन को प्रभावी करने वाले स्विच को कर्षण पावर नियंत्रक की अनुकति के बिना न तो बन्द किया जाएगा और न ही खोला जायेगा।

स0 नि0 17.09 (3) खण्ड के सभी परिचालन अथवा स्विचों को अलग करने सम्बन्धी कार्य जब पूरा कर लिया जाएगा तो सभी मामलों के कर्षण पावर नियंत्रक को सूचित किया जाएगा।

स0 नि0 17.09 (4) निष्क्रिय अथवा शिरोपरि लाइनों पर मिट्टी के आ जाने के कारण रेलपथ खण्ड पर विद्युत चल स्टाक के प्रवेश को रोकने की प्रक्रिया :-

पावर ब्लाक लगाये जाने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

ओ0एच0ई0 के मरम्मत/अनुरक्षण के लिए पावर ब्लाक लगाया जाना आवश्यक हो तो कर्षण पावर नियंत्रक उसे निजी नम्बर के आदान प्रदान के द्वारा खण्ड नियंत्रक को सूचित करेगा। खण्ड नियंत्रक इसी प्रकार से मण्डल परिचालन प्रबन्धक/वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबन्धक से परामर्श करेगा तथा सहमति के पश्चात वह उसे सम्बन्धित स्टेशन मास्टर/स्टेशन मास्टर (केबिन) को निजी नम्बर के आदान प्रदान के तहत सूचित करेगा तथा तब पावर ब्लाक को लगाने हेतु निजी नम्बर के आदान प्रदान द्वारा पावर नियंत्रक को सूचित करेगा। पावर ब्लाक को रद्द करते मसय भी यही प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

(क) इलेक्ट्रिक रोलिंग रोकने के लिए ऐसे रेलपथ अथवा क्रास ओवर पर जिसके शिरोपरि उपकरण को निष्क्रिय किया गया है अथवा विद्युत चल स्टाक को रोकने के क्रम में अथवा उसके ऊँपर से शिरोपरि उपकरण को पार करने या जिसके लिए कार्य करने हेतु अनुमति जारी की जानी है, वहाँ विद्युत चल स्टाक के ऐसे संचालन को नियंत्रित करने वाले सिगनल के लीवर/स्लाइड और सिगनल केबिन के प्वाइंट्स को लेकर/स्लाइड कालर के माध्यम से संरक्षित किया जायेगा। यदि प्वाइंट्स और सिगनल स्थानीय स्तर पर संचालित किये जाते हैं तो उसके सामान्य स्थिति में उन्हें क्लैम्प और पैड लॉक कर दिया जायेगा तथा चाभी स्टेशन मास्टर के पास रख दी जायेगी।

(ख) लीवर स्लाइड कालर को तब तक नहीं हटाया जायेगा, जब तक कि स्टेशन मास्टर अथवा स्टेशन मास्टर/केबिन को खण्ड नियंत्रक से पावर ब्लाक को निरस्त करने हेतु निजी नम्बर द्वारा संदेश पावती प्राप्त नहीं हो जाती है। खण्ड नियंत्रक इस तरह का संदेश तब तक जारी नहीं करेंगे, जब तक कि कर्षण पावर नियंत्रक से पावर ब्लाक को निरस्त करने के सम्बन्ध में निजी नम्बर के मार्फत विधिवत लिखित संदेश उसे प्राप्त नहीं हो जाता है। इसके साथ साथ कार्यरत स्टेशन मास्टर पावर ब्लाक के लगाये जाने एवं उसे रद्द किये जाने को गाड़ी सिगनल पंजिका में लाल स्याही से दर्ज करेगा, इसी तरह से खण्ड नियंत्रक द्वारा गाड़ी कन्ट्रोल चार्ट में भी प्रविष्टि की जाएगी।

टिप्पणी: जब भी इस पर या इसके बाहर लाइन पर पावर ब्लाक लगे होने की स्थिति में गैर विद्युत स्टाक का संचालन होना हो तो लेवल काल अस्थायी रूप से हटाया जा सकता है तथा संचालन पूरा होने

oral and practical test in the relevant rules and procedure for working on the N.E. Railway over sections under their control.

S.R. 17.08(4) Revolving tower on tower wagon :-

- (i) The revolving tower shall normally lie along the length of the tower wagon.
- (ii) The revolving tower shall be raised or lowered only when the lower wagon is stationary.
- (iii) The revolving wagon shall be moved out of the normal position, only when the tower wagon is stationary.
- (iv) The tower wagon shall be moved only after the revolving tower has been brought back to normal position.

S.R. 17.08 (5) Working of ladder trollies :-

- (i) Ladder trollies shall be considered as 'lorries' and their movement on the track shall be governed by GRs 15.18 to 15.28 and subsidiary rules thereafter as applicable to lorries.
- (ii) Working of 'ladder trollies' shall be supervised by a Traction Distribution official not lower in rank than a Chargeman, both outside and within station limits.

17.09. Additional rules for electrified sections:- Special instructions for working of trains on electrified sections shall be notified by the authorised officer.

S.R. 17.09 (1) Sectioning and Sliding Switches- Section and siding switches installed in the overhead equipment shall be operated only by such officials as are certified as competent to do so by the Traction Foreman (Overhead Equipment). The certificate of competency for this purpose shall be valid for a period of 5 Years.

S.R. 17.09 (2) No switch affecting the feed to main running line or loop line (s) shall be closed or opened without permission of the Traction Power Controller.

S.R. 17.09 (3) All operations of section or isolating switches, when completed, shall be reported to the Traction Power Controller in all cases.

S.R. 17.09 (4) Procedure for preventing admission to electric rolling stock into or over sections of track with dead or earthed overhead lines.

Procedure to be adopted for imposing power block

Whenever it is necessary to impose a power block for repair/maintenance of OHE the Traction Power Controller will intimate the same to Section Controller under exchange of Private Number. Similarly Section Controller will consult with DOM/Sr.DOM and after acceptance, he will intimate the same to Station Master /Cabin SM concerned under exchange of Private Number and then intimate Traction Power Controller for imposing power block under exchange of Private Number. The same procedure will be adopted while cancelling power block.

- (a) In order to prevent electric rolling-stock from being admitted into a track or a crossover for which overhead equipment is made dead or for which a permit-to-work is to be issued, the levers/slide of signals and points in the signal cabins governing such movements of electric rolling stock shall be protected by means of lever/slide collars. If the points and signals are locally operated, they should be clamped and padlocked in their normal position and the keys shall be kept with the Station Master.
- (b) The lever/slide collars shall not be removed until the Station Master or Cabin Station Master receives from the Section Controller and acknowledges a message supported by a private number cancelling the power block. The section controller shall not issue such a message unless he has received a written message duly supported by a private number from the Traction Power Controller cancelling the Power block. Also SM on duty must enter the Power Block in TSR in red ink while it is imposed & cancelled. Similar entries shall be made in central chart by controller.

Note :- When a movement of non-electric rolling stock is to be made into or out of such lines under power block, the lever collars may temporarily be removed and replaced immediately after the movement it completed.

के तुरन्त बाद इसे पुर्नस्थापित कर दिया जायेगा।

स0 नि0 17.09 (5): विद्युतीय क्षेत्र में दुर्घटना और असामान्य घटनाएं:-

- (1) शिरोपरि उपकरणों में दाब/खराबी: ट्रिपिंग न होने के मामले में कर्षण पावर नियंत्रक खण्ड नियंत्रक एवं स्टेशन मास्टर का कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व -
 - (क) खराबी (दोष) का पृथक्करण:-
 - (i) विद्युतीयकृत खण्डों में शिरोपरि उपकरण के विफल होने की घटनाओं में कर्षण पावर नियंत्रक उसे तुरन्त चिन्हित कर खराबी वाले खण्ड का स्थान निर्धारित करेगा तथा उसे पृथक करेगा। दोहरी एवं बहुलाइन खण्डों के मामले में उस मार्ग के सटे ठीक लाइन को खराब खण्ड की दूरी तक पृथक करेगा। कर्षण पावर नियंत्रक फिर लिखित रूप में अथवा टेलीफोन द्वारा निजी नम्बर के आदान प्रदान के माध्यम से खराब खण्ड एवं अस्थायी रूप से ठीक खण्ड के पृथक्करण की सूचना खण्ड नियंत्रक को देगा।
 - (ii) कर्षण पावर नियंत्रक से प्राप्त परामर्श पर खण्ड नियंत्रक निम्नलिखित के अनुसार कार्य करेगा- खण्ड नियंत्रक निजी नम्बर के आदान प्रदान के अन्तर्गत दोनों ओर के स्टेशन मास्टर को पृथक किये गये खण्ड को खराब खण्ड समझने की सूचना देगा कि वह खण्ड आपातकालीन पावर ब्लाक के अन्तर्गत है और तदनुसार कार्यवाही करेगा।
 - (ख) दोहरी लाइन खण्ड पर ठीक खण्ड का अस्थायी पृथक्करण:-
 - (i) खण्ड नियंत्रक खराब सेक्शन में किसी गाड़ी के प्रवेश की जांच करेगा कि वह सम्बन्धित स्टेशन मास्टर को सटे लाइन/लाइनो पर गहन दृष्टि रखने हेतु सर्तकता आदेश जारी करे ताकि शिरोपरि उपकरण में किसी खराबी का ध्यान रखा जा सके। अगले स्टेशन पर पहुँचने पर लोको पायलट सूचित करेगा कि जिस मार्ग से वह गुजरा है वह खण्ड रेल संचालन के लिए सुरक्षित है अथवा नहीं। तब खण्ड नियंत्रक ठीक खण्ड को जिसे अस्थायी रूप से पृथक किया गया था, को फिर से क्रियाशील बनाने हेतु लिखित रूप से कर्षण पावर नियंत्रक को सूचित करेगा।
 - (ii) यदि किसी प्रकार से गाड़ी खराब खण्ड में प्रवेश कर जाती है तो खण्ड नियंत्रक तुरन्त उन सभी स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों को जो, खराब खण्ड में गाड़ी संचालन से सम्बन्धित है तथा उस खण्ड में जिसमें ठीक शिरोपरि को अस्थायी रूप से पृथक किया गया है व्यक्तिगत नम्बर के आदान प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेगा ताकि वे प्रभावित ब्लाक खण्डों में तब तक किसी गाड़ी के प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे। जब तक कि अप्रभावित खण्ड के प्रथम गाड़ी के लोको पायलट और गार्ड को इस का सर्तकता आदेश जारी नहीं कर देते। दिन के दौरान जब आगे परिदृश्य स्पष्ट हो तो, 60 किमी0 प्रतिघंटा से अधिक नहीं एवं रात्रि के दौरान 30 कि0मी0 प्रति घंटा से अधिक नहीं की गति से बर्तते अन्य गति प्रतिबन्धों को देखते हुए चले और सावधानीपूर्वक एवं किसी रूकावट के आने पर शीघ्र रोकाने हेतु तैयार रहे जो सटे लाइन/लाइनों के बाधित होने के कारण हो सकता है तथा सटे हुए लाइन/लाइनों से शिरोपरि उपकरण में किसी असमानता पर भी गहन दृष्टि रखें। अगले स्टेशन पर पहुँचने पर लोको पायलट सूचित करेगा कि जिस खण्ड से वह गुजरा है वह गाड़ी संचालन हेतु सुरक्षित है अथवा नहीं।
 - (iii) इस कार्यवाई के करने के पश्चात खण्ड नियंत्रक कर्षण पावर नियंत्रक को लिखित रूप से सूचित करेगा कि गाड़ी की संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सावधानियां अपनायी गयी है। कर्षण पावर नियंत्रक तब ठीक खण्ड को जिसे अस्थायी रूप से पृथक किया गया था को विद्युत पुर्नस्थापित करेगा।
 - (iv) गति प्रतिबन्ध को हटाने की कार्यवाई खण्ड नियंत्रक द्वारा लोको पायलट और गार्ड से इस आशय की सूचना प्राप्त होने पर कि खण्ड अवरोध रहित है, स्टेशन मास्टर के परामर्श से किया जायेगा। खण्ड नियंत्रक गाड़ी के लोको पायलट और गार्ड के रिपोर्ट के आधार पर यह दर्शाते हुए कि कोई अतिक्रमण अथवा शिरोपरि उपकरण में कोई असामान्यता है अथवा नहीं, कर्षण पावर नियंत्रक को सूचित करेगा। गति प्रतिबन्ध को हटाने का निर्णय प्राइवेट/निजी नम्बर (गुप्तांक) के आदान-प्रदान के अन्तर्गत लिए जाने तक खण्ड में क्रमशः गाड़ी के प्रवेश की अनुमति केवल खण्ड नियंत्रक से लिया जायेगा तथा स्पष्ट रूप से गति प्रतिबन्ध दर्शाते हुए सर्तकता आदेश जारी करना कायम रहेगा जैसा कि उपर्युक्त (ii) में इंगित किया गया है।
- (2) विद्युत कर्षण ट्रैक पर गाड़ी में कोई असाधारण घटना के समय शिरोपरि उपकरण में विद्युत उपकरण में विद्युत आपूर्ति रोकने हेतु स्विच आफ करने के सम्बन्ध में कर्षण पावर नियंत्रक एवं खण्ड नियंत्रक का कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व।

S.R. 17.09 (5) "Accident and unusual occurrence in electrified territory:

- (1) Duties and responsibilities of Traction Power Controller, Section Controller and Station Master in case of No Tension/Fault Tripping in overhead Equipment:
 - (a) Fault Isolations:
 - (i) In an electrified section, in the event of OHE failure, the Traction Power Controller shall immediately identify and localize the faulty section and isolate the same. In case of double or multiple line sections, he shall also isolate the healthy section on adjacent tracks on the same route length as the faulty section. The Traction Power Controller shall then advise the section Controller in writing or on phone under exchange of private number of the section found faulty and the healthy section temporarily isolated.
 - (ii) On receipt of advice from the Traction Power Controller, the Section Controller shall take action as under:-

The Section Controller shall, under exchange of private numbers, advise the Station Masters of both stations who are concerned with the working of trains in the affected section to treat the faulty section as if the same is under emergency power block and take action accordingly.
 - (b) On Double Line Section - Healthy section temporarily isolated.
 - (i) The Section Controller shall check whether any train has entered in the faulty section. If not he shall advise the concerned SM to issue caution order to the keep a sharp look out on the adjacent line/lines to see if there are any OHE abnormalities. On reaching the next station, Loco Pilot, should report whether or not the section over which he has passed in safe for train movement. Then Section Controller will advise the Traction Power Controller in writing to re-energize the healthy section that was temporarily isolated.
 - (ii) If however, train has entered in faulty section, the Section Controller shall immediately inform SMs of all Stations who are concerned with working of train in the faulty section and also in the section in which healthy overhead equipment is temporarily isolated, under exchange of private number, that they shall not allow any train to enter the affected block sections unless both Loco Pilot and guard of the first train in unaffected section have been issue caution order to this effect. "Proceed with speed not exceeding 60 KMPH during day when visibility ahead is clear and not exceeding 30 KMPH during night subject to observance of other speed restrictions" and "keep a sharp look out and be prepared to stop short of any obstruction, which may due to any infringement from the adjacent line/lines and also keep a sharp look out on the adjacent line/lines to see if there are any overhead equipment abnormalities. On reaching the next station Loco Pilots to report whether or not the section over which they have passed is safe for train movement".
 - (iii) Only after taking this action the Section Controller shall advise the Traction Power Controller in writing that necessary precaution have been taken to ensure safety of the train. The Traction Power Controller shall then restore the feed to the healthy section, which was temporarily isolated.
 - (iv) Action to remove speed restrictions shall be taken by the Section Controller in consultation with Station Master on receipt of report from the Loco Pilot and the guard that the section is free of obstruction. Section Controller shall also advise the Traction Power Controller of the report of Loco Pilot/guard of the train indicating whether or not there are any infringements or abnormalities in overhead equipment. Till such time it is decided to remove speed restriction, subsequent train shall be allowed to enter into the section only with permission from the Section Controller under exchange of Private Number and shall continue to be issued caution order prescribing clearly the speed restriction and other precautions, as pointed out in (ii) above.
- (2) Duties and responsibilities of Traction Power Controller and Section Controller in the event of any abnormality in train on Electric Traction necessitating 'Switching off' of overhead equipment supply:

- (क) अस्थायी रूप से पृथक किया गया ठीक सेक्शन:-
- विद्युतीकृत कर्षण पर गाड़ी संचालन में किसी असुरक्षा के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से ज्योंही जानकारी होती है तो उसे कर्षण पावर नियंत्रक को तुरन्त प्रथम उपलब्ध साधनों द्वारा अवश्य सूचित किया जायेगा।
- (i) ज्योंही कर्षण पावर नियंत्रक को विद्युतीकृत कर्षण पर कार्यरत गाड़ी की असुरक्षित स्थिति की जानकारी होती है तो वह तुरन्त दोनों शिरोपरि उपकरण एवं घटना वाली उप खण्ड की लाइन में विद्युत आपूर्ति वाले स्विच को आफ कर देंगे तब कर्षण पावर नियंत्रक जिस खण्ड में शिरोपरि उपकरण की स्विच को आफ किया गया है की लिखित सूचना खण्ड के खण्ड नियंत्रक को देगा।
- (ii) कर्षण पावर नियंत्रक से प्राप्त सूचना पर खण्ड नियंत्रक प्राइवेट नम्बर (गुप्तांक) के आदान प्रदान के तहत उन सभी स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों को सूचना देगा। प्रभावित सेक्शन जिसे आपातकालीन पावर ब्लाक लगे होने के कारण बन्द सेक्शन समझा जाता है से और इस सेक्शन में किसी गाड़ी के प्रवेश की अनुमति न देना सुनिश्चित करेगा।
- (iii) स्टेशन मास्टर प्रभावित सेक्शन के ठीक लाइनों पर भी समान रूप से गाड़ियों के प्रवेश की अनुमति नहीं देगा जब तक कि अप्रभावित सेक्शन के पहली गाड़ी के लोको पायलट और गार्ड दोनों को दिन के दौरान जब आगे का परिदृश्य बिल्कुल स्पष्ट हो तो 60 किमी० प्रति घंटा एवं रात्रि के दौरान 30 किमी० प्रति घंटा की प्रतिबन्धित गति से चलने का सतर्कता आदेश जारी न किया जा चुका हो बशर्ते अन्य गति प्रतिबन्धों को देखते हुए तथा गहन दृष्टि रखने एवं किसी अवरोध के आने पर शीघ्र रोकने के लिए तैयार रहने जो सटे लाइन/लाइनों से शिरोपरि उपकरण के असामान्य उल्लंघन के कारण हो सकता है लोको पायलट को निर्देश देगा कि अगले स्टेशन पर पहुँच कर वह भी सूचित करे कि जिस सेक्शन से वह गुजरा है वह सेक्शन गाड़ी के लिए सुरक्षित है अथवा नहीं।
- (iv) यदि अप्रभावित सेक्शन का लोको पायलट उससे फोन पर सम्पर्क करता है तो अप्रभावित सेक्शन का शिरोपरि उपकरण को पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए और उससे प्रतिबन्धित गति दिन के दौरान जब आगे का परिदृश्य बिल्कुल स्पष्ट हो तो 60 किमी० प्रति घंटा एवं रात्रि के दौरान 30 किमी० प्रति घंटा बशर्ते अन्य गति प्रतिबन्धों को देखते हुए और बाहर गहन दृष्टि रखते हुए एवं किसी भी अवरोध के आने पर शीघ्र गाड़ी रोकने को तैयार रहने जो सटे किसी लाइन/लाइनों के उल्लंघन की वजह से हो सकता है रहते हुए चलने के लिए कहा जाएगा। अगले स्टेशन पर पहुँचने पर लोको पायलट सूचित करेगा कि जिस सेक्शन से वह गुजरा है गाड़ी संचालन के लिए सुरक्षित है अथवा नहीं।
- (v) यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि सटे रेल पथ पर कोई बाधा/व्यवधान नहीं है, जैसा कि सर्तकता आदेश में दर्शाया गया है उसे तुरन्त वापस ले लिया जायेगा तथा सर्व सम्बन्धितों को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के तहत सूचना दी जायेगी। इस तरह के लगाए गये सर्तकता आदेश को उसके निरस्तीकरण सहित सर्तकता आदेश पंजिका में आवश्यक इन्दराज किया जायेगा।
- (ख) प्रभावित गाड़ी वाला सेक्सन:-
- (i) प्रभावित गाड़ी के कर्मी दल से असमानता की प्रकृति के बारे में सूचना मिलने के पश्चात शिरोपरि उपकरण की रिचार्जिंग का निर्णय खण्ड नियंत्रक/उप मुख्य नियंत्रक (शिपट ड्यूटी) तथा सम्बन्धित विभाग के नियंत्रक से विचार विमर्श कर लिया जायेगा।
- (ii) यदि प्रभावित गाड़ी का लोको पायलट कर्षण पावर नियंत्रक/नियंत्रक से सम्पर्क करता है और शिरोपरि उपकरण के पुनरारम्भ होने पर गाड़ी में कोई खराबी नहीं पायी जाती है तो उसे प्रतिबन्धित गति से ब्लाक सेक्शन की दूरी तय करने हेतु नियंत्रक द्वारा कहा जाएगा जो दिन के दौरान जब सामने का परिदृश्य बिल्कुल स्पष्ट हो तो प्रतिबन्धित गति 60 किमी० प्रति घंटा तथा रात्रि के दौरान 30 किमी० प्रति घंटा बशर्ते कि अन्य गति प्रतिबन्धों को देखते हुए चले। गाड़ी के स्टेशन पहुँचने पर सम्बन्धित विभाग के कर्मचारी द्वारा गाड़ी की जांच की जायेगी यदि गाड़ी में कोई असामान्यता (खराबी) नहीं पायी जाती है, तो गाड़ी अपनी सामान्य गति से चलेगी।
- (3) शिरोपरि उपकरण के ट्रिप हो जाने/शिरोपरि उपकरण में तनाव न होने की स्थिति में लोको पायलट एवं गार्ड के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां-
- (i) शिरोपरि उपकरण के अस्थायी ट्रिप हो जाने पर लोको पायलट सामान्य कर्षण पर वापस

- (a) Healthy Section Temporarily Isolated:
- As soon as any person comes to know about any unsafe condition of a train working on electrified traction, Traction Power Controller must be advised immediately by first means.
- (i) As soon as Traction Power Controller comes to know about unsafe condition of a train working on Electrified Traction, he shall immediately switch 'Off' the overhead equipment supply of both the lines of relevant Sub-Section Traction Power Controller shall then advise in writing, the Section Controller of sections in which Overhead Equipment has been switched 'Off'.
 - (ii) On receipt of advice from Traction Power Controller, the Section Controller shall, under exchange of Private Number, advise Station Master of all stations. Who are concerned with working of trains in the affected sections to treat the dead section as if the same is under emergency power block and to ensure that no train is allowed to enter into the section.
 - (iii) Station Masters will not allow any train to enter even Healthy line of the affected Section unless both Loco Pilot and guard of the first train of unaffected section have been issued caution order to proceed with the restricted speed not exceeding 60 KMPH during day when view ahead is clear and 30 KMPH during night subject to observance of other speed restrictions and keep a sharp look out and be prepared to stop short of any obstruction, which may be due to any infringement on Overhead Equipment abnormalities from the adjacent line/lines. Also advise Loco Pilot too report immediately on reaching the next station whether or not the section over which they have passed is safe for the train.
 - (iv) If Loco Pilot of unaffected section contacts him on phone, the Overhead Equipment of unaffected portion should be resumed and he will be asked to proceed with the restricted speed not exceeding 60 KMPH during day when view ahead is clear and 30 KMPH during night subject to observance of other speed restrictions and shall keep a sharp look out and be prepared to stop short of any obstruction, which may be due to any infringement from the adjacent line/lines. On reaching the next station Loco Pilot will report whether or not the section over which they have passed is safe for train movement.
 - (v) After ascertaining that there is no infringement to adjacent track, the caution order as indicated shall be withdrawn immediately. Advising all concerned under exchange of Private Number. A record of imposition of such caution must be maintained on caution order register along with cancellation.
- (b) Section having affected train:
- (i) After getting information from the crew of the affected train about the nature of abnormality, decision regarding recharging of the Overhead Equipment shall be taken by the Section Controller in consultation with Chief Controller/Dy. Chief Controller (Shift Duty) and controller of concerned department.
 - (ii) If the Loco Pilot of the affected train contacts Traction Power Controller/Control and no defect is detected in the train, on resumption of Overhead Equipment he will be asked by control to clear the block section with the restricted speed not exceeding 60 KMPH during day when view ahead is clear and 30 KMPH during night subject to observance of other speed restrictions and shall keep a sharp look out for any abnormality in the train. On arrival at the station the staff of concerned department should check the train. If no abnormality detected the train should resume at normal speed.
- (3) Duties and responsibilities of the Loco Pilot and the Guard in case of Overhead Equipment tripping/ no tension in Overhead Equipment:
- (i) In case of transient tripping of Overhead Equipment the Loco Pilot shall resume

आ जाएगा एवं बगल की लाइन/लाइनों की पूरी तत्परता से जांच करेगा कि कहीं कोई असामान्यताएं/बाधाएं तो नहीं हैं? वह वाकी टाकी या सीटी कोड के द्वारा शिरोपरि उपकरण की ट्रिपिंग के बारे में गार्ड को सूचित करेगा। ट्रेन का गार्ड अपनी गाड़ी की किसी भी असामान्यता की जांच करेगा। सहायक लोको पायलट/डीजल सहायक को भी अपनी ट्रेन की प्रत्येक खराबी पर निगरानी रखनी चाहिए।

- (ii) यदि शिरोपरि उपकरण कोई तनाव रहता है तब लोको पायलट तत्काल लोको फ्लेशर के बटन को चालू करेगा तथा गति को नियंत्रण में लाएगा (रात में 60 किमी० प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा नहीं) ताकि किसी भी तरह की बाधा को रोक सके एवं प्रथम आकस्मिक साकेट के निकट ट्रेन को रोक सके। शिरोपरि उपकरण में तनाव का कारण जानने के लिए लोको पायलट कर्षण पावर नियंत्रक/नियंत्रण से संवाद स्थापित करेगा। कर्मीदल नियंत्रण की सलाह पर कार्य करेगा।
- (iii) यदि तत्काल ही कर्षण पावर नियंत्रक/नियंत्रण से बात करना सम्भव न हो तो लोको पायलट, सहायक लोको पायलट/डीजल सहायक को नीचे उतार कर गार्ड के साथ इंजन समेत ट्रेन की किसी भी खराबी के लिए जिम्मेदार असामान्यता की जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त करेगा। ट्रेन की जांचोपरान्त लोको पायलट/गार्ड ट्रेन की असामान्यता एवं इस सम्बन्ध में किसी प्रकार अथवा अन्य सहायता के लिए दूसरी लाइन का आपातकालीन फोन वाकी-टाकी समुपार फाटक अथवा दूसरी दिशा की ट्रेन अथवा संचार के किसी दूसरे माध्यम द्वारा सेक्सन नियंत्रक को सूचित करेगा एवं नियंत्रक की सलाह अनुसार कार्यवाई करेगा। यदि ट्रेन में किसी भी प्रकार की असामान्यता देखी जाती है तो लोको पायलट लोको फ्लेशर के बटन को बन्द कर देगा।
- (iv) इसी दरम्यान यदि शिरोपरि उपकरण में पावर की आपूर्ति फिर से चालू कर दी जाती है तो लोको पायलट इस बारे में जानकारी प्राप्त करते ही सामान्य कर्षण को पुनः आरम्भ कर देगा।

स०नि० 17.09(6) यदि विद्युत इंजन के द्वारा चालित ट्रेन खतरनाक स्थिति में गर्म धूरों के साथ गतिमान है अथवा रेक-ब्लाक एसेम्बली के साथ एक वैगन/कोच लटकता हुआ अथवा कोई असामान्य स्थिति जो ट्रेन/यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरनाक होगी, में स्टेशन मास्टर रेड हैंड सिगनल को दिखाते हुए सिगनल को पुनः 'आन' कर एवं संकेतों आदि से लो.पा./गार्ड का ध्यान गाड़ी रोकते हुए आकृष्ट करेगा। ट्रेन को रोकने हेतु लोको पायलट/गार्ड के ध्यान को खींचने में असफल होता है तो वह टी०पी०सी० को सीधे सूचित करेगा अथवा जहाँ टी०पी०सी० फोन उपलब्ध नहीं कराए गये हैं या कार्य नहीं कर रहे हैं, वहाँ सेक्शन नियंत्रक के द्वारा सूचित करेगा। टी०पी०सी० तत्काल ही सम्बन्धित सेक्शन के पावर आपूर्ति को बन्द कराने की व्यवस्था करेगा।

उपर्युक्त सूचना प्राइवेट नम्बरों के एक एक्सचेंज के अन्तर्गत सेक्शन नियंत्रक/कर्षण पावर नियंत्रक को दिए जाए। यदि ट्रेन कर्षण पावर नियंत्रक सीधे सूचित किए जाते हैं तो सेक्शन नियंत्रक को तत्पश्चात सूचित किया जाना चाहिए।

स०नि० 17.09 (7) जब कभी भी कोई ट्रेन को तनाव न होने की वजह से ब्लाक सेक्शन में 3 मिनट से ज्यादा रोक दिया जाता है तो ट्रेन का लोको पायलट अपने सहायक लोको पायलट डीजल सहायक को ट्रेन में आयी किसी भी तरह की खराबी की जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त करेगा तथा गार्ड को शिरोपरि उपकरण में तनाव न होने की जानकारी देगा। गार्ड सहायक लोको पायलट/डीजल सहायक के साथ पूरी ट्रेन की जांच करेगा।

यदि इसी बीच पावर आपूर्ति पुनः प्रारम्भ हो जाती है तो लोको पायलट लगातार, सीटी बजाते हुए लोको तक अपने सहायक लोको पायलट/डीजल सहायक को वापस बुलाएगा तथा इंजन के पास पहुँचकर यात्रा प्रारम्भ करेगा।

इससे अतिरिक्त ट्रेन की जांच के उपरान्त सहायक लोको पायलट/डीजल सहायक की सलाह से लोको पायलट एवं गार्ड, किसी भी प्रकार की अथवा किसी तरह की खराबी का ब्योरा सेक्शन नियंत्रक/ट्रेक्शन पावर नियंत्रक को देगा अथवा सबसे नजदीक के आपातकालीन टेलीफोन सर्किट/अन्य उपलब्ध साधनों के द्वारा आवश्यक सहायता के बारे में सूचना भेजेगा।

लोको पायलट एवं गार्ड, जी०एस०आर० 6.03 के अनुसार प्रभावित लाइन की सुरक्षा की व्यवस्था करेगा। स्वचालित सिगनल क्षेत्र की स्थिति में, जी०आर० 9.10 के अनुसार सुरक्षा दी जायेगी।

लोको पायलट एवं गार्ड से प्रभावित ट्रेन में आयी खराबी की प्रकृति को सुनिश्चित करने के बाद ही सेक्शन नियंत्रक के द्वारा उपरगामी उपस्कर के रिचार्ज के सम्बन्ध में निर्णय उप मुख्य

normal traction and keep a sharp look out including on the adjacent line/lines to see if there are any abnormalities/obstructions and will inform to the guard through Walkie-Talkie or whistle code about tripping in Overhead Equipment. The guard of the train will look out for any abnormality on his train. The Assistant Loco Pilot/Diesel Assistant should look back and observe his train for any abnormality.

- (ii) If no tension in Overhead Equipment continues, the Loco Pilot shall immediately switch 'On' the loco flasher and control the speed (not exceeding 60 KMPH at night) so as to be able to stop short of any obstruction and stop his train close to first emergency socket and will communicate with the Traction Power Controller/Control to know the reason for no tension in Overhead Equipment. The crew should act according to advice of control.
- (iii) If it is not possible to communicate with the Traction Power Controller/Control immediately, the Loco Pilot shall depute the Assistant Loco Pilot/Diesel Assistant to get down and check the train with the guard in order to look for any abnormality for any defect in his train including locomotive. After the train has been checked, the Loco Pilot/Guard shall inform Section Controller of the abnormality and assistance required, if any, or otherwise, through emergency phone of other line, Walkie-Talkie, Level Crossing Gate or through train of other direction or by any other means of Communication and act in accordance with advice of control. In case no abnormality is noticed in his train, Loco Pilot should switch 'Off' the loco flasher.
- (iv) If in the meantime power supply to Overhead Equipment gets restored, the Loco Pilot shall resume normal traction no sooner he comes to know of such resumption of supply.

S.R.17.09(6)- In case a train worked by an Electric Engine is found passing with hot axle in a dangerous condition or a wagon/coach with rake-block assembly hanging or anything unusual which would be dangerous for the Safety of Train/Passengers, the Station Master shall immediately try to stop the train by attracting attention of the Loco Pilot/Guard by showing Red Hand Signal, putting back signals to "ON" and by gesticulating etc. if, however, he fails to attract attention of the Loco Pilot/Guard to stop the train, he shall inform the TPC directly or through the Section Control, where TPC phone is not provided or happens to be out of order. The TPC shall arrange to switch off the power supply of the concerned section immediately.

Above information shall be given to the Section Controller/Traction Power Controller under an exchange of Private Numbers. In case Traction Power Controller has been directly informed, Section Controller has also to be informed subsequently.

S.R.17.09 (7)- Whenever any train gets held up in the block section for more than 3 minutes due to no tension, the Loco Pilot of the train shall depute his Assistant Loco Pilot/Diesel Assistant to check the train in order to look for any abnormality and to advise the Guard of no tension in OHE. The Guard shall then check the entire train along with the Assistant Loco Pilot/Diesel Assistant of, in the meantime, power supply is restored, the Loco Pilot shall call back his Assistant Loco Pilot/Diesel Assistant to the loco by sounding a continuous whistle and then resume journey on his reaching the engine.

Otherwise, after the train is checked, the Loco Pilot and Guard in consultation with the Assistant Loco Pilot/Diesel Assistant shall inform the Section Controller/Traction Power Controller of the details of abnormality if any or otherwise, send assistance required through the nearest emergency telephone circuit/by other available means.

The Loco Pilot and Guard shall arrange protection of the affected line in accordance with G&SR 6.03. In case of automatic signaling territories, the protection shall be done as per GR 9.10.

After ascertaining the nature of abnormality in the affected train from Guard and Loco Pilot, decision regarding recharging of OHE shall be taken by the Section Controller in consultation with the Deputy CTNL, Guard, Loco Pilot and concerned

गाड़ी नियंत्रक, गार्ड, लोको पायलट की सलाह से लिए जायेंगे। तदनुसार स्टेशन मास्टर को सलाह दी जाएगी एवं तत्पश्चात उप मुख्य नियंत्रक द्वारा खराबी को दूर करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी।

स0नि0 17.09 (8) प्राइवेट नम्बरों के एक्सचेंज के द्वारा सेक्शन नियंत्रक की सलाह पर ही केवल कर्षण पावर नियंत्रक शिरोपरि उपकरण की आपूर्ति फिर से चालू करेगा।

स0नि0 17.09 (9) यदि किसी श्रेणी, सेक्शन पर शिरोपरि उपकरण को बन्द कर दिया जाता है तो जी0आर0 एवं एस0आर0 5.20 में दिये गये अनुबन्ध के अनुसार रेल कर्मी दल के द्वारा कार्यवाई शुरू की जाएगी।

स0नि0 17.09 (10) दुर्घटना की स्थिति में सुनिश्चित किए जाएं:-

- (1) ए0आर0टी0 की लिखित तौर पर दी गयी सलाह के अनुसार पावर आपूर्ति को बन्द किया जाए एवं इसे पुनः तभी चालू किया जाए जबकि लिखित तौर पर पावर आपूर्ति को पुनः चालू किये जाने के सम्बन्ध में ए0आर0टी0 प्रभारी द्वारा अनुमति मिल जाए।
- (2) ए0आर0टी0 प्रभारी के लिखित सलाह पर ही शिरोपरि उपकरण को नीचे किया जाए एवं इसे ए0आर0टी0 प्रभारी के लिखित अनुमति मिलने के बाद उठाया जाय।



Station Masters shall be advised accordingly and action shall thereafter be initiated by the Dy. CTNL for clearance of abnormality.

S.R.17.09 (8)- Restoration of OHE supply by the Traction Power Controller will be undertaken only on the advice of Section Controller under exchange of Private Numbers.

S.R.17.09 (9)- If the Switching Off of the OHE taken place on a graded section, action as stipulated in G.R. & S.R.5.20 shall also be initiated by the train crew.

S.R.17.09 (10)- In case of accidents it should be ensured that: -

- (1) Power supply is cut off on the written advice of ART Incharge and should be restored only when the written clearance to restore power supply has been given by him (ART Incharge).
- (2) Lowering of OHE is done on the written advice of ART Incharge and it should be raised only after he (ART Incharge) has given written clearance to raise OHE.

